मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः-शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के स्कोर कार्ड की अनिवार्यता।

संदर्भः-(1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. सी 3-8/2013/1/3, दिनांक 01.07.2013.

(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र. क्र. 14-16/2012/56, दिनांक 20.10.2014.

--0--

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2013 द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया था। **उक्त प्रावधान को संशोधित करते हुए व्यापम के स्थान पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) को मान्य किया जाता है।**

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निम्नांकित संस्थाओं से एकवर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है :-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
5. शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एकववर्षीय ''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट'' (COPA) प्रमाण पत्र।

3/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उक्त CPCT परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत निर्देश उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 20.10.2014 द्वारा जारी किये गये है।

(i) मेरिट के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक CPCT स्कोर कार्ड प्रदान किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण न्यूनतम कट-ऑफ के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह कार्ड अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने से अधिकतम दो वर्ष तक वैध होगा अर्थात् उक्त कार्ड का उपयोग मध्यप्रदेश में किसी भी शासकीय विभाग/कार्यालय में आवेदन करते समय उक्त अवधि के लिए लिया जा सकेगा।

(ii) किसी एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रतिशतों में सुधार के लिए पश्चात्वर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे अनुमति होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी भी 6 माह पश्चात् आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकेगा।

(iii) परीक्षा के अभ्यर्थियों का परिणाम तथा उनका विवरण ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार नियुक्ति की स्थिति में विभाग CPCT स्कोर कार्ड का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।

(iv) परीक्षा आयोजन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया के लिए म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) नोडल एजेन्सी होगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, नियम, अर्हताएं एवं शर्तें म.प्र. एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(v) विभिन्न विभागों के ऐसे पद, जिनके भरती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कम्प्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए CPCT परीक्षा के माध्यम से अर्ह Score Card धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT Score Card के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कम्प्यूटर/आई.टी. से संबंधित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में पदों के लिए भरती नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भरती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था ही लागू होगी।

(vi) विभिन्न विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर/आई.टी. ऑपरेटर/सहायक ग्रेड-3/ शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद, जिनके लिए भरती नियमों में कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट जिसका उल्लेख पैरा-2 में किया गया है, के अलावा CPCT Score Card धारित करना भी अनिवार्य होगा। शेष अर्हताएं यथावत् रहेंगी।

4/ विभागों द्वारा आई.टी. दक्षता के परीक्षण के लिए पृथक से परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आई.टी. की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर - सह- कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है।

5/ राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रमाणीकरण हेतु (Computer Proficiency Certification Test - CPCT) परीक्षा ऑनलाईन आयोजित करने के लिए मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (मैप-आई.टी.) को अधिकृत किया जाता है।

6/ यह प्रावधान राज्य शासन के समस्त विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ निगम/मण्डल/बोर्ड/आयोग/विश्वविद्यालय/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक सी 3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
12. सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग